झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

# अधिसूचना

अधि0 सं0–8 / गठन / 101 / 2015 / न0वि0आ0–5081 राँची, दिनांक–08/08/17

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 1922 (बिहार अधिनियम–2, 1995 के द्वारा यथा संशोधित), जो उस समय झारखण्ड राज्य में अंगीकृत था, की धारा–6 के साथ पठित धारा–390 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चिरकुण्डा अधिसूचित क्षेत्र समिति को नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के गजट अधिसूचना संख्या–373, दिनांक–06.02.2006 के द्वारा चिरकुण्डा नगर पंचायत के रूप में घोषित किया गया।

2. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के अध्याय–2 की धारा–8 में **''नगरपालिका क्षेत्रों का वर्गीकरण''** के अन्तर्गत अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गयी जनसंख्या के प्रकाशित आँकड़ों के आधार पर नगरपालिका क्षेत्र को वर्गीकृत करने एवं धारा–14 में **''जनगणना रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद सरकार द्वारा समीक्षा''** के अन्तर्गत वर्त्तमान नगरपालिकाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यकतानुसार उनका उच्चीकरण या पुर्नगठन किए जाने का प्रावधान वर्णित है।

3. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 8 की उपधारा (2)(ii) के अनुसार यदि किसी स्थानीय निकाय क्षेत्र की जनसंख्या 40,000 से अधिक और एक लाख से कम हो तो उक्त नगर निकाय क्षेत्र को नगर परिषद वर्ग–'ख' के रूप में अधिसूचित करने का प्रावधान है।

4. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा–8 तथा धारा–14 में वर्णित प्रावधान के आलोक में वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के आधार पर चिरकुण्डा नगर पंचायत की कुल जनसंख्या–45508 होने के फलस्वरूप चिरकुण्डा नगर पंचायत को उसके मूल रूप में **लघुत्तर शहरी क्षेत्र चिरकुण्डा नगर परिषद, वर्ग–'ख'** के रूप उत्क्रमित करते हैं।

5. ''झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012'' के नियम–3 के तहत् चिरकुण्डा नगर परिषद, वर्ग–'ख' में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या का अवधारण निम्न रूपेण किया जाता है:–

| जिला | नगरपालिका क्षेत्र का नाम | जनगणना, 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या | मानक जनसंख्या के आधार पर वार्डों की न्यूनतम संख्या | | अवशेष जनसंख्या के आधार पर अनुमान्य वार्डों की संख्या | | | | कुल वार्डों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | मानक जनसंख्या | मानक वार्डों की संख्या | अवशेष जनसंख्या | अतिरिक्त प्रत्येक वार्ड के गठन हेतु विनिर्धारित जनसंख्या | प्रतिशत / अनुपात | वार्डों की संख्या | |
| धनबाद | चिरकुण्डा नगर परिषद, वर्ग–'ख' | 45508 | 40000 | 20 | 5508 | 6000 | 0.918 | 1 | 21 |

चिरकुण्डा नगर परिषद, वर्ग–'ख' में ''झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012'' के अध्याय–2, नियम–3 के तहत् वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या–21 एवं पार्षदों की संख्या भी 21 निर्धारित करते हैं।

6. एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या–4483 दिनांक–13.07.2017 को चिरकुण्डा नगर परिषद, वर्ग–'ख' के लिए इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

UDD Hall/D/Adhisucha-45

7. उक्त अवधारण का प्रभाव उपर्युक्त नगर परिषद् क्षेत्र पर तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आम निर्वाचन के पश्चात् उनकी प्रथम बैठक हेतु नियत तिथि से पाँच वर्ष तक का कार्यकाल समाप्त न हो जाए।

8. उक्त पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

9. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगी।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से।

8.8.17

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8/गठन/101/2015/न0वि0आ0–5081 राँची, दिनांक–08/08/17

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोंडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रकाशनोपरान्त अधिसूचना की 300 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

8.8.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8/गठन/101/2015/न0वि0आ0–5081 राँची, दिनांक–08/08/17

प्रतिलिपिः–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

8.8.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8/गठन/101/2015/न0वि0आ0–5081 राँची, दिनांक–08/08/17

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, सभी प्रशाखा–1 (स्थापना), प्रशाखा–2 (बजट), प्रशाखा–5 (योजना), नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को इस निदेश के साथ प्रेषित कि उक्त नगर निकाय के संदर्भ में पदसृजन, बजट आवंटन एवं योजना कार्यान्वियन संबंधी आवश्यक एवं समुचित कार्रवाई की जाय।

8.8.17

सरकार के प्रधान सचिव।

(6)